न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 54 सन 2020

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व बीरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट साकिन बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. हनुमान पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तसहील टिब्बी
3. रवि पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी

वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. रीतु पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. राजेश्वरी पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. रेखा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
6. सुमन पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. सुशीला पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. अनीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
9. गीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. मनोज पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
11. उग्रसेन पुत्र बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी
12. इन्द्रादेवी पुत्री बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी
13. रेणु पुत्री बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 319 / 295 की कुल 30.516हैक एवं खाता संख्या 320 / 25 की कुल 3.200हैक एंव खाता संख्या 321 / 87 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं मृतक बिरबल के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा एवं उनके पुत्र बीरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मृतक बीबरबल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनफुल वल्द तना एवं दादा तनू वल्द मेवा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है बीरबल पुत्र मनफुल का देहान्त हो चुका जिसके जायज वारिसान 11 ता 13 है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मृतक बीरबल की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,10 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,10 ,11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुंन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 319/295 की कुल 30.516हैक एवं खाता संख्या 320/25 की कुल 3.200हैक एंव खाता संख्या 321/87 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एंव मृतक बिरबल के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा एवं उनके पुत्र बीरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मृतक बीवरवल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 319/295 की कुल 30.516हैक एवं खाता संख्या 320/25 की कुल 3.200हैक एंव खाता संख्या 321/87 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव मृतक बिरबल के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी भु0प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 एव पुरानी जमाबन्दीया एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनफुल वल्द तना एवं पडदादा तनू वल्द मेवा के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 ता 9 12 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 ,12 ,13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 11 ,रोही मौजा देवासर के खसरा न0 253/3 की 4.721हैक खसरा 258/3 की 4.060हैक खसरा न0 401/3 की 1.391हैक कुल 10.172हैक पूर्वी दिशा में बहिब एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा देवासर के खसरा न0 253/1 की 5.480हैक खसरा न0 258/1 की 4.819हैक खसरा न0 401/1 की 1.4345हैक कुल 11.7335 हैक पश्चिमी दिशा एवं खसरा न0 243 की 3.2000हैक बहिब तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा देवासरा के खसरा न0 253/2 की 3.962हैक खसरा न0 258/2 की 3.301हैक खसरा न0 401/2 की 1.3475हैक कुल 8.615हैक मध्य भाग व खसरा न0 352/1 की 6.323हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोंषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व बीरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट साकिन बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. हनुमान पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तसहील टिब्बी
3. रवि पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी

वादी

बनाम

1 हेतराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. रीतु पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. राजेश्वरी पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. रेखा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
6. सुमन पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. सुशीला पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. अनीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
9. गीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. मनोज पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
11. उग्रसेन पुत्र बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी
12. इन्द्रादेवी पुत्री बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी
13. रेणु पुत्री बिरबल उर्फ बलवीरसिह जाति जाट निवासी बंशीर तहसील टिब्बी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 54 सन 2020 निर्णय दिनांक– 29/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 11 रोही मौजा देवासर के खसरा न0 253/3 की 4.721हैक खसरा 258/3 की 4.060हैक खसरा न0 401/3 की 1.391हैक कुल 10.172हैक पूर्वी दिशा मे बहिब एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा देवासर के खसरा न0 253/1 की 5.480हैक खसरा न0 258/1 की 4.819हैक खसरा न0 401/1 की 1.4345हैक कुल 11.7335 हैक पश्चिमी दिशा एवं खसरा न0 243 की 3.2000हैक बहिब तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 2 रोही मौजा देवासरा के खसरा न0 253/2 की 3.962हैक खसरा न0 258/2 की 3.301हैक खसरा न0 401/2 की 1.3475हैक कुल 8.615हैक मध्य भाग व खसरा न0 352/1 की 6.323हैक भूमि बहिब के खातेदार काश्तकार धोंषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner